#### Schedule - I

### MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District

)

### (APPLICATION FOR BEING EMPANELLED AS MEDIATOR)

1.	Name:	
2.	Father's Name :	
3-	Address:	
	(a) Office	Self attested
	(b) Residence	Photograph to be
4.	Telephone No.:	affixed
	(a) Office	
	(b) Residence	
5.	Mobile No. :	
	(a) Office	
	(b) Residence	
6.	E-mail Id:	
7.	Academic Qualifications:	
8.	Professional Qualifications and Experience:	
9.	Technical experience, if any:	
10.	Special qualification or experience in Mediation, if any:	
11.	Bar Council Enrollment Number with date:	
	(applicable only to advocates)	
12.	Whether any Charge Sheet has been submitted against you in any Court?:	
13.	Whether you have been convicted by the Court for offense involving moral turpitude? :	
14.	Whether you have been adjudged insolvent or have been declared to be of unsound mind? :	
15.	Whether any disciplinary proceedings have ever been initiated against you by	
	the disciplinary authority, or whether you have been pun disciplinary proceedings?:	ished in such
	Ido hereby submit	that I am willing to be empanelled as a
media	ator inJudgeship and give	my consent for being empanelled under
Rule	3 of the Uttar Pradesh Civil Procedure (District Court) Me	ediation Rules, 2021. I assure that during
my t	erm as a mediator, I shall follow ethics as prescribed	d in Rule 22 of the said Rules while
perfor	rming my duties. I also undertake to undergo the mediator'	's training as prescribed by the Mediation
and (	Conciliation Project Committee of the Supreme Court of I	ndia. I declare that the above furnished
inform	nation is true to the best of my knowledge and nothing has	s been concealed.
Full S	Signature:	
Date:		

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <a href="http://shasanadesh.up.gov.in">http://shasanadesh.up.gov.in</a> से सत्यापित की जा सकती है ।

# अनुसूची--एक मध्यस्थता और स्लह केन्द्र (जिला

## (मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

- 1. नामः
- 2. पिता का नाम:
- 3. पताः
  - (क) कार्यालय:
  - (ख) निवास:
- दूरभाष संख्याः 4.
  - (क) कार्यालय:
  - (ख) निवास:
- मोबाइल संख्या: 5.
  - (क) कार्यालय:
  - (ख) निवास:
- ई-मेल आईडी: 6.
- शैक्षणिक अर्हताएं: 7.
- व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभवः 8.
- 9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
- मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो: 10.
- बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक: 11. (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
- क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तृत किया गया है? 12.
- क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वनित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध 13. किया गया है?
- क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है? 14.
- क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अन्शासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी 15. हैं, या क्या आपको ऐसी अन्शासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेत् इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ । यह आश्वासन देता हैं कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा । मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और स्लह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। में घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षरः

दिनांक:

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।